तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 58/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00089) बअनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

कालुराम

बनाम

हरिश मनिहार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दीपक परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 02

आदेश

दिनांक 03.03.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2017 अनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए दिनांक 05.12.2017 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया था जो अपीलाधीन आदेश के जरिये बिना कोई कारण दर्शाये खारिज कर दिया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 203/2 रकबा 13 बीघा का रेकर्डेड खातेदार है जो जमाबंदी संवतः 2070-2073 से स्पष्ट है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड को दरकिनार करते हुए केवल रेस्पोडेंट संख्या एक के हितों ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 58/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00089) बअनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त आराजी का खातेदार भी दर्ज नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनो बिंदुओं पर अपना निष्कर्ष दिये बिना पूर्व पारित स्थगन आदेश को समाप्त किया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 मार्च 2018 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में किस्म कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि में रूपांतरित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 203/02 के खातेदारान् द्वारा वर्ष 1994 में भूमि का रूपांतरण करवाकर आवासीय पट्टे प्राप्त किये जा चुके है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या एक का कथन है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 58/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00089) बअनवान कालुराम बनाम हरिश मनिहार इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिवर्तित हो चुकी है तथा वर्तमान में आबादी दर्ज है। अपीलांट पक्ष द्वारा वकील रेस्पोडेंट के इस कथन का खण्डन नहीं किया गया है तथा न ही उसके द्वारा अदालत हाजा के समक्ष वादग्रस्त आराजी का अद्यतन राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे राजस्व रेकर्ड की स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित हो जाने से गैर कृषि भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष मे नहीं पाये जाते है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा उचित समझती है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 मार्च 2018 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई काअवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का दो माह की अवधि में विधसम्मत अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर